छह साल बाद लोकपाल की स्थिति

लेखक - अमृता जौहरी और अंजली भारद्वाज (ट्रैन्स्पेरन्सी एंड एंटी-करप्शन एक्टिविस्ट)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

12 फरवरी, 2020

"आवश्यक नियम, विनियम और मशीनरी अभी तक लागू नहीं हुए हैं।"

2011 में जनसभा द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल की माँग को देखते हुए लोकपाल कानून को पारित किया गया था। आंदोलन के राजनीतिक लाभांश को राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा ने पुनः प्राप्त किया और प्रभावी रूप से लोकपाल की माँग का समर्थन करते हुए 2014 में भ्रष्टाचार विरोधी दल के रूप खुद को दर्शा कर सत्ता में वापसी की।

लोकपाल कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के छह साल से अधिक समय बाद भी लोकपाल देश में भ्रष्टाचार से निपटने में महत्त्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पा रही है। वर्तमान शासन द्वारा लोकपाल को जिस तरह से कमजोर किया गया है, वह अन्य संस्थानों के निरीक्षण और जवाबदेही को कमजोर बनाने की प्रक्रिया का ही एक उदाहरण है।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की प्रस्तावना में कहा गया है कि लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित और निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करने के लिए ही यह कानून बनाया गया है। शुरुआत में लोकपाल के स्वतंत्र होने की कल्पना की गई थी। इसे एक उच्च कद का दर्जा देने के साथ भ्रष्टाचार की जाँच और दोषियों पर मुकदमा चलाने की शक्ति सहित व्यापक अधिकार दिए गए थे।

नियुक्तियों में देरी

पाँच साल से अधिक समय तक लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई। इस संदर्भ में सरकार का कहना था कि 2014 के आम चुनावों के बाद से किसी को भी विपक्ष के नेता (LoP) के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकी, इसलिए लोकपाल के सदस्यों के चयन के लिए जिम्मेदार समिति का गठन नहीं किया जा सका।

अब इस कारण से हुई नुकसान की भरपाई आसानी से या तो लोक सभा में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता को LoP के रूप में मान्यता देकर पूरी की जा सकती थी या लोकपाल कानून में संशोधन करके सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को समिति का सदस्य बनाने की अनुमति दी जा सकती थी। हालाँकि, इनमें से किसी भी विकल्प का सहारा नहीं लिया गया।

नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अदालत के 2017 के फैसले का पालन करने में सरकार की विफलता के बाद सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गयी, जिसके बाद मार्च 2019 में लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त

लोकपाल

क्या है?

- केंद्र के लिए लोकपाल और राज्यों के लिये लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के द्वारा की गयी थी।
- ये संस्थाएँ बिना किसी संवैधानिक दर्जे वाले वैधानिक निकाय हैं।
- ये लोकपाल का कार्य करते हैं और कुछ निश्चित श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करते हैं।
- देश के पहले लोकपाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चन्द्र घोष को राष्ट्रपति ने लोकपाल बना दिया है।
- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लोकपाल के 50% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं के समुदाय से होंगे।
- लोकपाल का नया आदर्श वाक्य, "मा गृध कस्यसविधानम् (किसी के धन के लिए लालची मत बनो") है।

लोकपाल की शक्तियाँ

- लोकपाल सीबीआई समेत किसी भी छानबीन एजेंसी को कोई मामला जाँच के लिए भेज सकता है और उसका पर्यवेक्षण और निगरानी कर सकता है।
- यदि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो लोकपाल छानबीन एजेंसी द्वारा पड़ताल आरम्भ होने के पहले भी उस सेवक को बुला सकता है और पूछताछ कर सकता है।
- यदि लोकपाल ने कोई मामला सीबीआई को जाँच-पड़ताल के लिए दिया है तो उस सीबीआई अधिकारी को बिना लोकपाल की अनुमति के बिना स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।
- जाँच एजेंसी को जाँच का काम छह महीने में पूरा करना होगा। लेकिन लोकपाल सही और लिखित कारण होने पर छह महीने का विस्तार दे सकता है।
- लोकपाल के द्वारा भेजे गए मामलों पर सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे।

किया गया।

इसके बाद, LoP के बिना ही एक खंडित चयन समिति की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री, स्पीकर और भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने मुकुल रोहतगी को नियुक्त किया, जिन्होंने भाजपा के शासनकाल के दौरान भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में काम किया था। लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को 'विशेष आमंत्रित व्यक्ति' के रूप में चयन समिति की बैठकों के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसे उन्होंने इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि सरकार ने निमंत्रण भेज कर बस औपचारिकता निभाई है।

चार सदस्यीय चयन समिति, जिसमें सरकार के पक्ष में उम्मीदवारों की सिफारिश करने की दिशा में एक अंतर्निहित पूर्वाग्रह के साथ सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधियों का एक समूह शामिल था, ने लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन किया था। जिस तरह से नियुक्तियाँ कि गयी थीं, उससे लोकपाल की स्वतंत्रता का संचालन होने से पहले ही संदेह पैदा होने लगा था।

नियुक्तियों पर विवाद होने के बावजूद, कई लोगों ने उम्मीद की थी कि एक बार गठित होने के बाद लोकपाल भ्रष्टाचार और सरकार द्वारा सत्ता के मनमाने उपयोग की जाँच के लिए एक महत्त्वपूर्ण निकाय होगा। हालाँकि, 10 महीने से अधिक समय बाद, सबूत बताते हैं कि लोकपाल की शुरुआत सही नही हुई थी और आज भी बेअसर है। आज तक, सरकार ने लोकपाल के पास शिकायतें दर्ज करने के लिए नियम नहीं बनाए हैं। केंद्र सरकार लोक सेवकों द्वारा संपत्ति के प्रकटीकरण के बारे में नियम बनाने में भी विफल रही है।

भ्रष्टाचार के आरोपों पर स्वतंत्र और विश्वसनीय कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए लोकपाल को एक जाँच निदेशक के नेतृत्व में अपनी जाँच शाखा और अभियोजन निदेशक के नेतृत्व में अपने स्वयं के अभियोजन पक्ष की स्थापना के लिए कानून के तहत् अधिकार दिया गया था। हालांकि, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत् मिली जानकारी ने पुष्टि की है कि भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल की जाँच और अभियोजन पक्ष अभी तक स्थापित नहीं किया गया है।

लोकपाल ने पूछताछ या अभियोजन निदेशक को भी नियुक्त नहीं किया है। इसके अलावा, जिन कानूनों को लोकपाल कानून के तहत् बनाया जाना था, उन्हें अभी तक बनाया जाना बाकि है, जिसमें प्रारंभिक जाँच और जाँच करने के तरीके तथा प्रक्रिया को निर्दिष्ट करना है।

लोकपाल की वेबसाइट बताती है कि उसने 30 सितंबर, 2019 तक प्राप्त 1,065 शिकायतों की जाँच की और 1,000 का निपटान किया। चूँकि कानून को संचालित करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को लागू किया जाना बाकी है, इसलिए लोकपाल के फैसलों की कानूनी सत्यता को कानून की अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम

अपेक्षित नियमों, विनियमों और मशीनरी के बिना, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि लोकपाल अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा है। हाल के दिनों में लोकपाल के खबरों में होने का एकमात्र कारण उसके न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति दिलीप बी. भोसले का अघोषित कारणों से इस्तीफा देना है।

लोकपाल को प्रभावी तरीके से संचालित करने में विफलता भाजपा सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी को पूरा

लोकपाल का इतिहास

- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 को 1 जनवरी, 2014 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी और इसे पूरे देश में इसी तारीख से लागू कर दिया गया है।
- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच के लिए देश में लोकपाल और प्रदेशों में लोकायुक्त की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है।
- विदित हो कि लोकपाल संस्था की आधिकारिक शुरुआत वर्ष 1809 में स्वीडन में हुई थी।
- भारत में संवैधानिक लोकपाल का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1960 के दशक की शुरुआत में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने संसद में प्रस्तुत किया था।
- लोकपाल एवं लोकायुक्त शब्द प्रख्यात विधिवेत्ता डॉ. एल.एम. सिंघवी ने पेश किया था।

लोकपाल का अधिकार क्षेत्र

- लोकपाल; कुशासन, अनुचित लाभ पहुँचाने या भ्रष्टाचार से संबंधित मामले जो किसी मंत्री या केंद्र या राज्य सरकार के सचिव के अनुमोदन से की गई प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ में पीड़ित व्यक्ति द्वारा लिखित शिकायत किए जाने पर या स्वत: संज्ञान लेते हुए, जाँच कर सकता है।
- लेकिन लोकपाल पीड़ित व्यक्ति को अदालत या वैधानिक न्यायाधिकरण से मिले किसी भी फैसले के संबंध में किसी प्रकार की जांच नहीं कर सकता है।
- लोकपाल सरकार से आरोपी लोक सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए कह सकता है या विशेष अदालत में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करा सकता है।

लोकायुक्त के कार्य

- कुशासन की वजह से न्याय और परेशानी संबंधी नागरिकों की 'शिकायतों' की जाँच करना।
- सरकारी कर्मचारी के खिलाफ पद का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार या ईमानदारी में कमी के आरोपों की जाँच करना।
- शिकायतों और भ्रष्टाचार उन्मूलन के संबंध में इस प्रकार के अतिरिक्त कार्य की जानकारी राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट अधिसूचना से दी जा सकती है।

लोकपाल को कैसे हटाया जा सकता है?

- लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के लिए संसद के 100 सदस्य अपने हस्ताक्षर वाली याचिका राष्ट्रपति को सौंपते हैं।
- राष्ट्रपति इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाता है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जाँच करता है और आरोप सही पाता है तो राष्ट्रपति के लिखित आदेश पर लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्यों को पद से हटा दिया जाता है।

लोकपाल को कब हटाया जा सकता है?

- उसे एक दिवालिया घोषित कर दिया गया, या
- वह अपने कार्यकाल के दौरान अपनी ऑफिस कर्तव्यों के अलावा किसी अन्य पेड जॉब में संलिप्त पाया जाता है, या
- राष्ट्रपति की राय में दिमाग या शरीर की दुर्बलता के कारण कार्यालय में कार्य जारी रखने के लिए अयोग्य है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. लोकपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की त्वरित जाँच के लिए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 लाया गया।
2. लोकपाल के फैसलों की कानूनी सत्यता के लिए न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
3. लोकपाल चयन समिति में केवल प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) केवल 2

(c) 1 और 3 (d) केवल 1

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements related to Lokpal:

1. Lokpal and Lokayukta Act, 2013 was introduced for speedy investigation of corruption charges against public servants.
2. The legal veracity of the decisions of the Lokpal can be challenged in court.
3. Lokpal selection committee consists of only the Prime Minister, the Chief Justice of the Supreme Court and the Leader of the Opposition.

Which of the above statements is / are correct?

(a) 1 and 2 (b) Only 2

(c) 1 and 3 (d) Only 1

नोट : 11 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (a) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. 'भारत में लोकपाल की नियुक्ति के छह वर्ष बाद भी भ्रष्टाचार से लड़ाई को लेकर उसकी प्रभाविता संदेहास्पद दिखाई पड़ती है।' क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने मत के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करें। (250 शब्द)

"Even after six years of the appointment of Lokpal in India, his effectiveness in fighting corruption seems doubtful." Do you agree with this statement? Give arguments in favor of your opinion. (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।